

न्यायालय सब जज-तृतीय, डुमराँव, जिला-बक्सर

विविध वाद-16 / 2026

शान्ति देवी - आवेदिका
बनाम्
गुड़िया देवी वगैरह - विपक्षीगण

आदेश

07.03.2026

आवेदिका की पैरवी है। प्रस्तुत विविध वाद सं०-16 / 2026 मूल स्वत्व वाद सं०-256 / 2022 को पुनर्जीवित करने हेतु दाखिल किया गया है। वाद पुकार किया गया। वाद पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। वाद सुनवाई के दौरान विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मूल स्वत्व वाद सं०-256 / 2023 जो दिनांक-13.01.2026 को अदम पैरवी में खारिज हो गया है उसको पुनर्जीवित करने के संबंध में आवेदिका/प्रार्थी द्वारा विविध वाद संख्या-16 / 2026 दाखिल किया गया है। आवेदिका एक गरीब एवं कमजोर मजदूरी करके जीविका पालन करने वाली महिला है तथा हमेशा अधिवक्ता लिपिक से पैरवी हेतु खर्चा आकर अदाय करती रही किन्तु तत्कालीन अधिवक्ता के लिपिक जिम्मेदारीपूर्ण कार्य नहीं किया तथा वाद का नियत तिथि से आवेदिका को अवगत नहीं कराया जिसके कारण दिनांक-13.01.2026 को वाद अदम पैरवी में खारिज हो गया। आवेदिका द्वारा जान बूझकर गलती नहीं किया गया बल्कि अन्य परिस्थितियों के कारणवश गलती हो गयी है जिसके चलते वाद खारिज हो गया है। आवेदिका भविष्य में इस तरह की गलती पुनः नहीं करेगी। यदि वाद सं०-256 सन् 2023 पुनर्जीवित नहीं किया जाता है तो आवेदिका को अपूरणीय क्षति होगी। अतः निवेदन है कि आवेदिका का मूल नंबरी वाद संख्या-256 सन् 2023 को पुनर्जीवित करने का आदेश दिया जाए।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक द्वारा दाखिल विविध वाद सं०-16 / 2026 मूल स्वत्व वाद संख्या-256 / 2023 को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना किया गया है। आवेदिका के द्वारा मूल स्वत्व वाद में उचित पैरवी नहीं करने के कारण दिनांक-13.01.2026 को अदम पैरवी में न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। इस प्रकार आवेदिका ने अपने मुकदमा में जिस परिस्थितियों को दर्शाया है जिसके कारण मुकदमा खारिज हुआ है उस समय आवेदिका के अधिवक्ता लिपिक द्वारा नियत तिथि की सूचना नहीं दिया गया था। आवेदिका के द्वारा मूल स्वत्व वाद को पुनर्जीवित करने हेतु विविध वाद दाखिल किया गया

है जो समय-सीमा के अन्दर है। आवेदिका द्वारा उचित पैरवी नहीं करने के कारण खारिज हो गया है। वाद का सही न्याय निर्णयन हेतु मूल वाद संख्या-256/2023 को पुनर्जीवित करना न्यायहित में आवश्यक प्रतीत होता है। अतः संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए समय तथा व्यय को दृष्टिगत रखते हुए विविध वाद संख्या-16/2026 को न्यायहित में 2000/-रूपये खर्चा के साथ मूल वाद संख्या-256/2023 को पुनर्जीवित करने का आदेश दिया जाता है।

वाद दिनांक-.....वास्ते अग्रिम कार्यवाही ।

लेखापित

सब जज-तृतीय